हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार ,दिनांक 07अप्रैल ,2015 को अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूवाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

07.04.2015/1100/केएस/जेटी/1

प्रश्न संख्या:2008

अध्यक्षः श्री बम्बर ठाकुर (अनुपस्थित)

07.04.2015/1100/केएस/जेटी/2

प्रश्न संख्याः 2009

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि राजगढ़ में जो बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है, वहां जहां पर पहले बस स्टैंड बना हुआ है, दोबारा से क्यों उसी जगह बस स्टैंड का निर्माण नहीं किया जाता? वहां पर पहले ही बस स्टैंड बना हुआ है और जो यहां पर कहा गया है कि बस स्टैंड के लिए नई भूमि चयनित की गई है तो जो नई भूमि का चयन वहां पर किया गया है, वह भूमि कहां पर है, कितनी भूमि है व किस विभाग के नाम है ? यदि उस पर पेड़ है, तो ऐसी भूमि का चयन क्यों किया गया है? क्या पेड़ों के कटान के लिए केस बना दिया गया है? यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां पर बस स्टैंड के लिए जो जगह देखी है वहां पर तकरीबन 200 पेड़ हैं। इससे हमें व विभाग को भी लगता है कि परमिशन मिलना मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि विधायक महोदय भी अल्टरनेटिव साइट देख लें। अगर कोई अल्टरनेटिव साइट है तो मुझे भी बताएं। हम वहां जाकर इन्सपैक्शन कर लेंगें, अधिकारियों को वहां भेज देंगें।

दूसरा, माननीय विधायक ने कहा कि जो वर्तमान में बस स्टैंड है, वहीं पर इसका निर्माण क्यों नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि प्रैज़ेंट बस स्टैंड में जगह कम पड़ रही है क्योंकि राजगढ़ थोड़ा बढ़ रहा है अगर वहीं पर करना चाहते हैं तो सैपरेटली

07.04.2015/1100/केएस/जेटी/3

डिस्कस कर लें उसके ऊपर भी हम विचार कर सकते हैं और यदि कोई और अल्टरनेटिव लैंड है तो आप बताएं I We are open for all the options.

प्रश्न समाप्त

07.04.2015/1100/केएस/जेटी/4

प्रश्न संख्याः 2010

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि 2012-13 की विधायक प्राथमिकता में जो ये दोनों सड़कें हैं, इसका विभाग ने लगभग एक जैसा जवाब दे दिया और दोनों के उत्तर में कह दिया गया है कि इसकी डी.पी.आर. अभी बनाई जानी है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि अगर डी.पी.आर. अभी बनी नहीं तो 7.04.2012 को चीफ इंजीनियर शिमला, नाबार्ड ने इसको चैक किया उसके बाद एक लैटर चीफ इंजीनियर कांगड़ा को आया और इसी के साथ-साथ अगर यह सारा प्रोसैस चला तो किसी लैवल पर जो डी.पी.आर.बनी, मैं मानती हूं कि लेटैस्ट उसमें यह इंस्ट्रक्शन है कि पहले फोरेस्ट क्लीयरैंस होगी फिर डी.पी.आर. बनेंगी लेकिन पहले जो प्रैक्टिस रही है, उसमें यह डी.पी.आर. बनी लेकिन विभाग ने उसका उत्तर यहां पर इस तरह से गलत उत्तर दे दिया।

दूसरी, ठम्बा-ठेहड़-मनोह सड़क की साढ़े तीन करोड़ की डी.पी.आर. एक्सिअन ने एस.ई. और ऊपर किस लैवल पर गई ,वह जरूर बनी थी। 30 जून, 2013 को ठम्बा-ठेहड़-मनोह सड़क की इंस्पैक्शन रखी लेकिन डी.एफ.ओ. या फोरैस्ट वालों ने इसकी इंस्पैक्शन नहीं की तो डिले प्रैक्टिस जो फोरैस्ट लैवल पर चलता है उसको भी फोरैस्ट वाले ही चैक करें कि जब 30 जून, 2013 को विभाग ने डेट रखी और फिर इंस्पैक्शन नहीं किया फिर बहुत कोशिश के बाद 18.11.2014 को कंजर्वेटर और एस.ई., पी.डब्ल्यू.डी. ने इसकी इंस्पैक्शन की है आगे चक्कर डाल दिया है पासवर्ड देने का और आजकल आपने ऑन लाइन

07.04.2015/1100/केएस/जेटी/5

की बात कही है तो मा0 मुख्य मंत्री जी ये जो दोनों फोरैस्ट क्लीयरैंस के चक्कर में इतनी पुरानी डी.पी.आर. रुक रही है, काम नहीं हो रहा है।

Speaker: Please speak briefly.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

7.4.2015/1105/jt/av/1

प्रश्न संख्या : 2010 ------क्रमागत

श्रीमती सरवीन चौधरी जारी-------
फॉरैस्ट क्लीयरैंस के चक्र में इतनी पुरानी डी.पी.आरज. रुकी हुई हैं ,काम नहीं हो रहे हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों को ही आप अमलीजामा नहीं पहना रहे हैं। इन फॉरैस्ट क्लीयरैंसिज के ऊपर विभाग सीरियस है या नहीं है? इसके अतिरिक्त यह ऑन लाइन प्रोसैस कब तक होगा? आप पहले हमारी 10-10 साल पुरानी डी.पी.आरज .को क्लीयर करें। आगे वाली डी.पी.आरज .तो अभी बनी ही नहीं। क्या मुख्य मंत्री जी इन दोनों सड़कों की डी.पी.आर. और फॉरैस्ट क्लीयरैंस के बारे में बतायेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत विस्तार में उत्तर दिया है। इन दोनों सड़कों का आगे का काम दो वजह से रुका पड़ा है जिसमें एक फॉरैस्ट क्लीयरैंस और दूसरी गिफ्ट डीड है जो कि प्रभावित किसानों ने देनी थी। वह गिफ्ट डीड अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही गिफ्ट डीड प्राप्त होगी और फॉरैस्ट क्लीयरैंस के लिए केस बनेगा उसके पश्चात ही इन सड़कों के ऊपर काम हो सकता है।

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें काफी लोगों ने एफिडेविट दे दिए हैं और ललेटा से वनुमहादेव सड़क तो फॉरैस्ट वायोलेशन में भेजी है। जहां फॉरैस्ट नहीं था वहां पर एस.सी. कम्पोनैंट और डिपोजिट वर्क्स से काम हुआ है। जिस पोर्शन में फॉरैस्ट है वहां लोगों ने अपने आप ही सदियों से उस रास्ते को चलाया हुआ है। इसलिए

यह सड़क फॉरैस्ट वायोलेशन में है। फॉरैस्ट वायोलेशन में जो सड़कें जाती हैं वे जल्दी क्लीयर हो सकती है। वहां लोगों ने ऐफिडेविट दिए हुए हैं। हो सकता है एक-आध ऐफिडेविट रह गया हो लेकिन विभाग ने यहां उत्तर में यह नहीं दर्शाया है कि लोगों ने ऐफिडेविट नहीं दिए। विभाग भी अपना उत्तर गोल-मोल देता है। (---व्यवधान---)

7.4.2015/1105/jt/av/2

Speaker: Not to be recorded. You are making such a long supplementary. How can he understand? You be brief please.

Chief Minister: I appreciate the hurry of the Hon. Member, but hurry also takes time and the procedures have to be followed. The roads are sanctioned; money is there, but for two reasons, one is the gift deeds are not forthcoming and secondly, the forest clearance has not yet been obtained, the work on these roads has not started.

Concluded.

7.4.2015/1105/jt/av/3

<u>प्रश्न संख्या : 2011</u>

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे चौपाल चुनाव क्षेत्र में दयार से लेकर चौपाल तक 28 किलोमीटर थिक फॉरैस्ट एरिया है। आज से नहीं, न ही इसी साल; जब से चौपाल चुनाव क्षेत्र में बिजली आई है बरसात और बर्फ में हमेशा एक-एक महीने पूरे-का-पूरा निर्वाचन क्षेत्र बिजली से कट जाता है। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि लाश्टाधार में 66 के.वी. के लिए जो आपकी टावर लाइन जा रही है उसको रीडिजाईन करके उसकी हाइट पेड़ों से ऊपर ली जाए ताकि हमारे चौपाल चुनाव क्षेत्र की बिजली की समस्या खत्म हो सके। मेरे पूरे चुनाव क्षेत्र में बहुत दिनों तक एक भी बल्ब नहीं जला। वहां जितने भी ऑफिस हैं जैसे लोक निर्माण विभाग या एस.डी.एम. ऑफिस है; ये सारे बंद हो गये। जनता ने इसके लिए रोष व्यक्त किया है। कोई ऐसी व्यवस्था---------

श्री बी जे द्वारा जारी

07.04.2015/1110/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः 2011.. जारी...

श्री बलबीर सिंह वर्मा... जारी...
कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारा जो नीचे पुल है उसकी दूसरी तरफ से, रोहडू से दूसरी लाईन आ सकती है, उसका भी प्रोविजन किया जाए। इसके अलावा चौपाल और नेरवा के लिए कोई जनरेटर का भी प्रावधान हो जिससे इमरजैंसी में बड़ी जनरेटर लगा कर वहां पर जितने भी आफिसिज़ व हॉस्पिटल चल सकें और लोगों को भी मूलभूत सुविधा मिल सके। मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि इसके लिए वह आश्वासन दें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वहां पर नेशनल हाईवे के साथ-साथ एक लाईन और आ रही है और हम उसको भी मेन्टेन करने जा रहे हैं, ताकि अगर घने जंगलों वाली लाईन में कोई क्षति हो जाए तो दूसरे लाईन से विद्युत आपूर्ति की जा सके। जहां तक देवदार के पेड़ों के ऊपर से लाईन ले जाने का सवाल है, यह तो मैं किसी को पूछ करके बताऊंगा। अध्यक्ष जी, इन्होंने एक और जनरेटर की बात की है। मैंने इनसे पूछा था और इन्होंने कहा कि जनरेटर लगभग 3 लाख रूपये का आता है। मैंने कहा कि सी.एम. साहब ने विधायक निधि में 20 लाख रूपये अभी बढ़ाया है और आपने जनरेटर के लिए पैसे अपने विधायक निधि से ही दे देना।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने नेशनल हाईवे से लाईन जोड़ने के लिए कहा है, आप कितने समय में यह लाईन जोड़ देंगे ? दूसरा, विधायक निधि में इतना फंड नहीं आता है कि मैं उससे चौपाल और नेरवा के लिए जनरेटर का प्रावधान करूं, आप विद्युत विभाग से इसका प्रावधान करें। माननीय मंत्री जी मैं आपसे यह दो आश्वासन चाहता हूं।

07.04.2015/1110/negi/ag/2

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी लाईन आ रही है उसको भी हम जल्दी से जल्दी इन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उस एरिया में

जो बिजली की आपूर्ति बाधित होती है, वो न हो। जहां तक इन्होंने जनरेटर के लिए कहा है, मैं इसका भी प्रावधान करूंगा।

समाप्त

अध्यक्षः अगला प्रश्न - 2012 श्री गोविन्द सिंह ठाकुर- एबसेन्ट

07.04.2015/1110/negi/ag/3

प्रश्न संख्याः 2013.

श्री बी.के. चौहानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने प्रश्न में यह पूछा था कि "यह सत्य है कि चम्बा में कसाकड़ मुहल्ले में बस अड्डे का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है?" मंत्री महोदय अपने उत्तर में कहते हैं- "जी, हां"। उसके बाद मैंने पूछा था कि "यदि हां, तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है" ?इसका यहां उत्तर आया है कि "टैंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है व शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।" यह कार्य तो 5 साल पहले आरम्भ कर दिया गया है। लेकिन अभी इसकी अद्यतन स्थिति क्या है उसके बारे में मंत्री महोदय कहते हैं कि कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। क्या मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं?
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी इच्छा है कि इनकी जो इच्छा है वह पूरी हो, बस अड्डा बने। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल टेन्डर था उसके वावजूद, मुझे पता है कि जब आप आएंगे तो मुझे चार्जशीट भी करेंगे। वहां पर दूसरी, तीसरी बार यह टेन्डर हो रहा है। टेन्डर नही आने के बावजूद आपका सिंगल टेन्डर बोर्ड में लगा करके ,उसको वहां पास करके सिंगल टेन्डर कर दिया है ताकि उसमें जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। फिर इसके लिए पैसे नही थे। 5 करोड़ रूपये थे और 6 करोड़ रूपये जे.एन.एन.आर.यू.एम. में गवर्नमैन्ट ऑफ इण्डिया से ले करके उस बस अड्डे के लिए दे दिया। अब तकरीबन वहां पर 11 करोड़ रूपये है । इसको पहले बी.ओ.टी. में बनाने की बात थी लेकिन बी.ओ.टी. में कोई आया नही। जहां तक टैक्निकल्टी की बात है, टैक्निलिटी यह है कि वहां पहले जेल थी, जेल को तोड़ रहे हैं और यह कार्य आरम्भ हो चुका है ।

श्री बी.के. चौहानः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि यह कार्य तो 5 साल पहले आरम्भ हुआ था । इसके लिए एन.एच.पी.सी. से लगभग 10 करोड़ रूपये की राशि

07.04.2015/1110/negi/ag/4

भी मिली थी जो डी.सी. ऑफिस चम्बा में जमा करवा दी गई है और उससे कार्य भी शुरू हो गया था। परन्तु उसके बाद....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

07.04.2015/1115/यूके/एजी/1

प्रश्न संख्या :2013---जारी---

श्री बी0के0 चौहान---जारी----

परन्तु उसके बाद जब बाली जी आए तो काम बन्द कर दिया गया और बन्द इसलिए कर दिया गया कि बगल में जो जेल परिसर था उसको खाली करवा कर जेल का डिमोलेशन होना था वह भी हो गया । उसके बाद जब मैने 4 साल पहले इसी सदन में इनसे यही प्रश्न पूछा था तो इन्होंने कहा था कि शीघ्र काम शुरू हो जायेगा तथा इसके लिए राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो रही है । मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 4 साल में एक बस अड्डे के लिए राशि का प्रावधान नहीं किया गया । अभी भी वही बात कह रहे हैं कि राशि को उपलब्ध करवाया जा रहा है । तो अब मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इसके लिए राशि की व्यवस्था हो जायेगी और कब तक कार्य शुरू हो जायेगा? क्योंकि 5 साल तो इनके हो गए, अब दो साल बच गए हैं। तो क्या इसको भी इसी टालमटोल में आगे निकाल देंगे?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि 5 साल हो गए तो 3तो इन्हीं के टैन्योर के थे । मेरे तो अभी दो ही हुए हैं । 3 साल में इनसे नहीं बना, 3 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया । मुझे होम डिपार्टमैंट से 30 सितम्बर 2014 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई । 30 सितम्बर, 2014 के बाद देख लो कितना टाईम हुआ है ? हमने टेंडर भी लगा दिए, टेंडर लगा कर काम भी दे

दिया । जो आप कह रहे हैं 10 करोड़ रूपए, वह 10 करोड़ नहीं था, डी0सी0 साहब के पास मैं गया था चम्बा में । वह दो करोड़ रूपए था । टोटल 5 करोड़ रूपए देने की उन्होंने कमिटमैंट की हुई है । तो 5 करोड़ में कोई भी बस अड्डा नहीं बनता है, हमने 6 करोड़ रूपए और ऐडिश्नल दिया है । अब 11करोड़ रूपए है, और ज्यादा फंड्स की जरूरत होगी तो वह भी देंगे । आपको बढ़िया बस अड्डा बना कर देंगे, तसल्ली रखो और इसी टर्म में बना कर देंगे ।

अध्यक्षः अगला प्रश्न ऑथोराइज्ड टू श्री रविन्द्र सिंह रवि ।

07.04.2015/1115/यूके/एजी/2

प्रश्न संख्या 2014

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह सूचना सभा पटल पर रखी गई है, इसमें काफी डिटेल में सूचना इन्होंने दी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्रदेश में पूरी पंचायतों का सर्वे करवाया है कि प्रदेश में कितने आवारा पशु वर्तमान में हैं और जो आपने यहां पर सूचना दी है, उसके अन्तर्गत आपने कहा है कि अभी तक पंजीकरण कार्यक्रम के तहत 1214 पंचायतों ने पंजीकरण का काम पूरा कर लिया है । शेष 2029 पंचायतों का कार्य प्रगति पर है । इसमें आपने आगे कहा है कि 13वें वित्तायोग के द्वारा 90 पंचायत समितियों को गौ सदन के निर्माण के लिए पैसा दिया गया है और 36जिला परिषदों को दिया गया है । लेकिन आपने आगे जो टोटल उसका किया है वह 982 पंचायतों में भूमि चयन का काम पूरा कर लिया गया है, 570 में यह मामला विचाराधीन है और 521 पंचायतों को धनराशि उपलब्ध करवाने का मामला विचाराधीन है । तो क्या जो आपने पहले बताए, 982 जिनका भूमि चयन आपने कर लिया, क्या उनको आपने धनराशि उपलब्ध करवा दी है? जो 577 ग्राम पंचायतें जिसमें आपने बताया हैं पंचायतों द्वारा भूमि उपरांत भूमि को पंचायत के नाम स्थानांतरित करने सम्बन्धी मामला विचाराधीन है, क्या उनको भी आपने धनराशि उपलब्ध करवा दी है? बाकी जो 1037 पंचायतें शेष हैं, क्या वहां पर आवारा पशु नहीं हैं? अगर है तो उनके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी करने हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य कब तक पूरा करेंगे ? दूसरे आपने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां सुनिश्चत कर दी हैं कि पुलिस विभाग यह करेगा, लोक निर्माण

विभाग यह करेगा बाकी पशु पालन विभाग आपको सहयोग देगा । जो आपने कहा कि गृह विभाग, पुलिस विभाग, यह कानून-व्यवस्था ही ठीक नहीं कर पाता तो यह पशुओं को कब हटाएगा ? सड़कों का प्रदेश बुरा हाल है तो लोक निर्माण विभाग उनको हटाने कब जायेगा? यह आपने गड़बड़ घोटाला जवाब दिया है । इन विभागों के पास जो पहले ही जिम्मेवारी दी हुई है, उनको वह काम करने दो । सीधे तौर पर क्या पशु-पालन विभाग की जिम्मेवारी सुनिश्चत करेंगे कि सड़कों पर जो आपके आवारा पशु हैं, या पंचायतों को उनमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व करके पंचायत प्रतिनिधियों को या पंचायत

07.04.2015/1115/यूके/एजी/3

सेक्रेटरीज़ को या जो आपने बाकी अन्य स्टॉफ उसके लिए रखा है, उनको आप आदेश करवाएंगे कि आप इस सारे के सारे मामले को देखें, उन पशुओं को सड़कों से हटाएं । क्या ऐसा आदेश सरकार देगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है ।

एसएलएस द्वारा जारी-----

07.04.2015/1120/sls-jt-1

प्रश्न संख्या :2014 ...जारी

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री... जारी

क्योंकि जो ब्योरा इन्होंने मांगा है कि 3243 पंचायतों में से केवल 12-1 4में ही हम पशुओं की जनसंख्या की गिनती कर रहे हैं। प्रश्न आवारा पशुओं का है। जहां तक गिनती की बात है, गांवों के अंदर जितने भी पशु हैं, उनकी जनसंख्या जानने के लिए हम गिनती कर रहे हैं। यह उसकी डिटेल है। जो आपने आंकड़े मांगे हैं ,मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2007 के बाद 2012 में दोबारा से सैनसस देखी गई थी कि प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या क्या है। वर्ष 2007के बाद 2014 में इसमें लगभग 14 परसैंट की कमी आई है। आपने पंचायतवार जानना चाहा लेकिन मेरे पास जिलावार ब्योरा है जो मैं बता

रहा हूं। सबसे ज्यादा आवारा पशु जिला कांगड़ा में पाए जाते हैं। जो 32130 आवारा पशु हैं, उनमें से कांगड़ा में 10505 हैं। दूसरे नंबर पर शिमला है जहां 5114 पशु हैं। कुल्लू तीसरे नंबर पर है जहां 3353 आवारा पशु हैं। मण्डी में 2578 आवारा पशु हैं। यह कुल आवारा पशुओं की जनसंख्या है। आपने कहा कि पशु पालन विभाग देखे कि आवारा पशु क्यों होते हैं। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही स्ट्रे कैटल पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया था और हमने स्ट्रे कैटल पॉलिसी बनाई। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उस स्ट्रे कैटल पॉलिसी के अनुसार हमारे पास एन.जी.ओज. के माध्यम से 76 गौ सदन बने हैं और एक सरकारी गौ सदन है। इनकी कैपेसिटी 7650 पशुओं की है जबकि राज्य में 32130 आवारा पशु हैं। वर्ष 2014-15 में हमने प्रदेश में स्ट्रे कैटल पॉलिसी बनाई। आवारा पशु क्यों हैं, इसके ऊपर हमने पूर्ण रूप से काम करने का प्रयास किया। गांव के अंदर अगर पशु 3-4 साल तक बच्चा न दे और दूध न दे तो उसको आवारा छोड़ देते हैं। हमने इस पर काम करना शुरू किया और प्रदेश में स्ट्रे कैटल पॉलिसी बनाई। यह काफी लंबी पॉलिसी हैं। यदि आप चाहें तो इसको पढ़कर भी बता सकते हैं। इस पॉलिसी में हमने धार्मिक स्थानों और मंदिरों को भी जोड़ा है ताकि वहां की आय का 10 प्रतिशत् पैसा स्ट्रे कैटल के लिए जाए। स्ट्रे कैटल पॉलिसी के अनुसार अगर हम

07.04.2015/1120/sls-jt-2

इनके लिए कैटल शैड्ज बनाएं तो इस पर 80 करोड़ रुपया लगता है। यदि इनके लिए फौडर और फीड का प्रोविजन करें तो एक साल के अंदर 66 करोड़ रुपया चाहिए। जो आपने विभागों की बात की, यह विभाग हाई कार्ट द्वारा निश्चित किए गए हैं। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए विभिन्न विभागों को आदेश दिया। चाहे पुलिस विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो कि वह सड़कों से आवारा पशुओं को उठाएं, पशु पालन विभाग हो या पंचायती राज विभाग हो। पंचायती राज विभाग को भी डायरैक्शन दी है कि वह अपनी पंचायतों में गौ सदन बनाने का प्रयास करे। आपने आईडैंटिफाई करने की बात की। यह वह हैं जो ग्राम पंचायतों ने आईडैंटिफाई किए हैं। उसमें एफ.आर.ए. का और लैंड ट्रांसफर का केस भी मूव करना पड़ेगा। जो दूसरी पंचायतों का मैंने ज़िक्र किया, उसमें कइयों ने आईडैंटिफाई कर दिए हैं और कइयों ने सरकार को एफ.आर.ए. के लिए केस फारवर्ड कर दिया है। कई जगह धन का प्रावधान करने का प्रयास भी किया गया है। इस तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि आवारा पशु कम कैसे हों। इसके लिए हम ब्रीडिंग

पॉलिस भी लाने वाले हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इनकी संख्या को कम करने के लिए हम ब्रीडिंग पॉलिसी भी प्रदेश में लाने वाले हैं क्योंकि इस प्रदेश में ब्रीडिंग पॉलिसी नहीं थी। जो आवारा पशु हैं, इस वक्त उनमें से 58परसैंट क्रास ब्रैड हैं। आवारा पशु इसलिए हो रहे हैं क्योंकि न्यूट्रीशन्ज की कमी है। जो क्रास ब्रैड एनिमल हैं उनकी देखभाल ठीक तरीके से नहीं होती ,इसलिए वह हीट पीरियड़ में नहीं आते हैं और दूध की उनमें पैदावार नहीं हो पाती। इसलिए प्रदेश के अंदर इस ब्रीडिंग पालिसी को पूर्ण रूप से देखा जा रहा है कि कहां किस प्लेन इलाके में किस तरह के जानवर रखे जाएं और पहाड़ी सेमी-हिल्ज में किस तरीके के रखे जाएं। क्रास ब्रैड रखे जाएं, या रैड सिन्धी और साहीवाल जैसी ब्रीड, जो हमारे प्रदेश की है, उनको लाया जाए।

जारी ...गर्ग जी

07/04/2015/1125/RG/JT/1

प्रश्न सं.2014---क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री-----क्रमागत

साहीवाल जैसी ब्रीड, जो हमारे प्रदेश की है, उनको लाया जाए। इस प्रकार से हमारी सरकार ब्रीडिंग पॉलिसी पर काम करने का विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा मुद्दा इनकी आईडैन्टीफिकेशन का भी है कि हम जानवरों को आईडेन्टीफाई कैसे करें? हमने इसके लिए एक योजना सोची है कि उनमें इलैक्ट्रिकल चिप लगाई जाएं जिससे कि हम उन्हें आईडेन्टीफाई कर सकें। परन्तु वह बहुत कॉस्टली है। मैं आपको यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि ये चिप रिमूव भी किए जा सकते हैं। जैसे पहले हम इन्हें आईडेन्टीफाई करने के लिए टैग लगाते थे। लोग टैग लगाने के लिए उनके कान काट देते थे ,तो हमने ब्राण्डिंग कम करने के लिए हमने यह प्रयास किया है। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न इनको आईडेन्टीफाई करने का है? आवारा पशुओं को यहां छोड़ा जाता है और वे बाहर से भी आते हैं। जैसे ट्रकों में बाहर से पंजाब से लाकर लोग हिमाचल में पशुओं को छोड़कर चले जाते हैं, तो इस प्रकार ये बाहर से भी लाए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए सरकार पूरी वचनबद्धता के साथ काम करने का प्रयास कर रही है।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 'आवारा' शब्द की जगह पर यदि ये 'बेसहारा पशु' शब्द का इस्तेमाल करें, तो ठीक रहेगा। क्योंकि गाय आवारा नहीं होती, मैं ऐसा समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये बेसहारा पशु खेती का कितना नुकसान करते हैं ,क्या सरकार ने इसका कोई आकलन किया है और साथ में एक यह भी कि कितनी कृषि योग्य भूमि पर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है और उससे प्रदेश को कितना नुकसान हुआ है? विभागीय उत्तर में बताया गया है कि पंचायतें इस नुकसान की भरपाई करेंगी ,तो कहां से करेंगी? साथ में लोक निर्माण विभाग को यह भी ऐडवाईज़री दी है कि वह उनको हटाए, तो हटाकर उन पशुओं को कहां भेजेंगे, यह विभागीय उत्तर में नहीं बताया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने निवेदन किया है, तो प्रश्न भी इनका है जब इन्होंने ही आवारा लिखा है, तो मैं क्या

07/04/2015/1125/RG/JT/2

जवाब दूं। इसलिए मैं भी वही कह रहा हूं। माननीय सदस्य ने फसलों के नुकसान के बारे में जानना चाहा है ,तो फसल का नुकसान आवारा पशु भी करते हैं एवं जंगली जानवर भी करते हैं और इसका उत्तर राजस्व विभाग दे सकता है कि कितनी फसलों का नुकसान हुआ है। जहां तक इनकी रोकथाम के बारे में इनका प्रश्न है, तो जैसा मैंने कहा कि हम मनरेगा के अन्तर्गत फैन्सिंग का कार्यक्रम भी करते हैं। जहां-जहां कोई लोग हों, तो वहां मनरेगा के अंदर भी शैल्फ डाले जा सकते हैं और वहां हम लोगों की फसल प्रोटैक्शन के लिए भी फैन्सिंग का काम कर सकते हैं। जहां ग्राम पंचायत शैल्फ डालेगी और ग्राम सभा आवारा पशुओं के लिए पैनल्टी लगाने के लिए भी सक्षम है। उसमें यह प्रावधान किया गया है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह प्रश्न आवारा पशुओं का है इसलिए जनरल रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, परन्तु प्रश्न अदालत के निर्णय के संबंध में है और अदालत ने जो निर्णय दिया है उसमें यह कहा गया है कि पशुओं का पंजीकरण हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि

अभी तक सिर्फ 1214 पंचायतों में ही यह पंजीकरण हुआ है। एक तो वर्तमान सरकार के जो ये दो साल हैं ,इनमें कितनी पंचायतों में पंजीकरण का कार्य हुआ और जो शेष 2029 पंचायतें बची हैं उनमें पंजीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? दूसरा यह कि इस निर्णय में यह भी कहा है कि आने वाले 6 महीनों में हर पंचायत, समस्त शहरी निकायों में गौ-सदन बनाए जाएं और उसके लिए पैसा प्रदेश सरकार दे। लेकिन मुझे लगता है कि यह 6 महीने का समय इस अप्रैल माह में खत्म होने वाला है। जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार तो कुछ जिला परिषद सदस्यों ,पंचायत समितियों के माध्यम से ही 13वें वित्तायोग का पैसा दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से पंचायतों को गौ-सदन बनाने के लिए धनराशि कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी? क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल तो अब पूरा होने वाला है। जब अभी तक सभी पंचायतों को धनराशि ही जारी नहीं की है , तो वे गौ-सदन 6 महीने के अंदर कैसे बनेंगे? इस पर माननीय मंत्री जी जरूर अपने विचार रखें। तीसरा, कोर्ट ने कहा है कि इन आवारा पशुओं के उपचार की व्यवस्था पशु पालन विभाग करे। इसके लिए मुझे लगता है कि कोई मोबाइल वैन सिस्टम ही हो सकता है जिससे आवारा पशुओं का उपचार हो सके। क्योंकि कई बार आवारा पशु किसी दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है और वे सड़क के किनारे पड़ होते हैं।

07/04/2015/1125/RG/JT/3

इसलिए उनका इलाज करने के लिए यह मोबाइल सिस्टम शुरू करने की आवश्यकता है-------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

07/04/2015/1130/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2014क्रमागत---श्री रणधीर शर्मा जारी---------

इसलिए उनका उपचार करने के लिए मोबाइल वैन सिस्टम शुरू करने की आवश्यकता है तो क्या पशु पालन विभाग ने यह सिस्टम शुरू किया है? साथ ही गोसदनों में क्या वैटरिनरी डॉक्टर्ज या वैटरिनरी फार्मासिस्ट नियुक्त किए गए हैं? क्योंकि गौसदनों में

500-1000 के लगभग आवारा पशु रहते हैं इसलिए क्या उनके उपचार के लिए ऐसे पद वहां सृजित किए गए हैं? एक बात मैं और कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, काफी हो गया है।

श्री रणधीर शर्माः सर क्या आप मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का दुबारा मौका देंगे?

अध्यक्षः नहीं, दुबारा मौका नहीं मिलेगा। आप संक्षेप में बोलिए।

श्री रणधीर शर्माः एक अदालत का निर्णय है कि इस संबंध में को-ऑर्डिनेशन कमेटीज का गठन होना था। क्या प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर इन को-ऑर्डिनेशन कमेटीज का गठन कर दिया है?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी जो सूचना मांगी है, उसको बता दीजिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने रजिस्ट्रेशन की बात की है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 3243 ग्राम पंचायतों में से 1214ग्राम पंचायतों में रजिस्ट्रेशन हुई है और यह कन्टीन्युअस प्रोसैस है। हम लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और पंचायती राज एक्ट में इसका प्रोविजन किया हुआ है। पंचायती राज एक्ट के अनुसार जो पंचायत के प्रधान हैं, वे मिलकर रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। इसमें जिम्मेवारी ग्राम पंचायत को डाली गई है। विभाग केवल उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसैस है ,उसमें आइडेंटिफिकेशन का टैग लगाकर करते हैं परन्तु यदि किसी को आवारा पशु छोड़ना होता है तो वह टैग उतारकर या कान काटकर या अन्य कई तरीके हैं और ब्रैंडिंग को भी खत्म कर दिया है। आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है यानी जब पशु आवारा हो जाते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। परन्तु यह प्रासैस हम ग्राम सभा के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं जैसा

07/04/2015/1130/MS/AG/2

माननीय सदस्य ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश हैं कि छ :महीने के अंदर गौसदन बनने चाहिए और पैसे का प्रावधान करना चाहिए। उसमें 13वें वित्तायोग को डायरैक्शन्ज दी

गई थी कि ग्राम पंचायत के अंदर और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब 14वें वित्तायोग का पैसा सीधा ग्राम सभाओं में जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि ग्राम सभाओं के अंदर स्थान चयन करने के बाद ग्राम सभाओं के माध्यम से शैल्टर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। इसके रख-रखाव के लिए भी ग्राम सभा ही स्वतंत्र रूप से जिम्मेवार होगी। वह अपने साधन पैदा करने का प्रयास करेगी और सरकार के माध्यम से भी जो-जो भी हमारे पास सुझाव आएंगे, उस पर हम पैसे का प्रावधान करने का प्रयास करेंगे।

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आवारा पशुओं में जो सांड है जिनकी वजह से लोगों के जान-माल को नुकसान हो रहा है, जैसे कई ऐसे सांड हैं जो लोगों को मार रहे हैं। तो उस संबंध में कौन सी रणनीति बनाई जा रही है ?इसके अलावा जो कुत्ते पागल हो जाते हैं और फिर वे आवारा पशुओं को काटते हैं और पशु भी फिर पागल हो जाते हैं, उस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है? विभाग इसके लिए क्या योजना बना रहा है? इस संबंध में मंत्री जी जानकारी दें?

अध्यक्षः मंत्री जी इस संबंध में आपके पास कोई जानकारी है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है ,मैं इनको बताना चाहता हूं कि आवारा पशुओं में 90 परसेंट फीमेल है और 10 परसेंट मेल हैं। 10 परसेंट मेल इसलिए होते हैं क्योंकि बचपन से ही बहुत कम मेल बड़े होते हैं और उनको दूध वगैरह कम दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं। मैं इस विधान सभा के अंदर उस बारे में नहीं बोल सकता। इसलिए जैसा माननीय सदस्य ने कहा, तो विभाग को जैसे ही कोई जानकारी मिलती है कि यहां इस तरह का कोई आवारा पशु पड़ा है तो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको उठाने का प्रयास करते हैं। हमारा वैटरिनरी विभाग जहां नुकसान होता है, वहां जाता है। जो माननीय सदस्य ने मोबाइल वैन की बात की है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे यदि किसी जानवर के साथ कोई इस तरह की घटना हो जाए।

07/04/2015/1130/MS/AG/3

बाकी हमने लोक निर्माण विभाग को कहा हुआ है कि सड़कों से उठाकर जानवर को कहीं दूर ले जाएं। उन्हें सड़कों पर ही न पड़े रहने दिया जाए। उच्च न्यायालय के

आदेशानुसार इसमें तीन-चार विभागों को जिम्मेदारी दी हुई है और हरेक विभाग की कोई-न-कोई जिम्मेवारी बनाई हुई है।

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री गोविन्द राम शर्मा।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, अनुपूरक प्रश्न पूछने दीजिए क्योंकि यह प्रश्न प्रदेश के किसानों के साथ जुड़ा हुआ है।

अध्यक्षः नहीं, काफी हो गया है। प्रदेश में काफी कुछ हो रहा है।

प्रश्न समाप्त/
अगला प्रश्न श्री जे0के0 द्वारा-----

O7/04/2015/1135/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2015

श्री गोविन्द राम शर्माः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना यहां पर दी है, मुझे लगता है कि विभाग ने शायद सही जानकारी इन तक नहीं दी होगी क्योंकि यह मामला मीडिया में भी काफी उछला है और उछल रहा है। बहुत से कर्मचारी जो रिटायरी हैं, मैं भी कर्मचारी रहा हूं वे मेरे पास आए। उनकी पैंशन, रिटायरमैंट के बाद ग्रेच्युटी और लीव इन केशमैंट जो उनको मिनली थी। एक महीना पहले तक उनमें से बहुत से कर्मचारियों को नहीं मिली। क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजकल एक महीने के अन्दर आपके विभाग ने उनको यह पैंशन, ग्रेच्युटी और लीव इन केशमैंट दी? दूसरे, कुछ रिटायरी कर्मचारी कोर्ट में भी गए थे। क्या कोर्ट से कोई ऐसा डिसिजन हुआ है कि उनको पैंशन, ग्रेच्युटी दी जाए और क्या उसके बाद आपने उनको यह दी?
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय विधायक जी अपना प्रश्न देखें तो यह है कि यह सत्य है कि वर्तमान में एच.आर.टी.सी. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैंशन व Death cum Retirement Gratuity (DCRG) नहीं दी जा रही है? तो नहीं दी जा रही है जो है, उसी के लिए हमने कहा जी, नहीं। अगर ये कहते कि डीलेड दी जा रही है, तब हम जी, हाँ ज़वाब देते। आप टैक्निकल्टी में फंस गए। तो उसका मैं ज़वाब दे रहा हूं कि वर्ष 2013-14 में हमने लगभग 62 करोड़ रूपया दिया है। वर्ष 2014-15 में 69 करोड़ रूपए दिए हैं। इस तरह से

131 करोड़ रूपया हम दो वर्षों में पैंशन दे चुके हैं। यह ठीक बात है कि दो महीने की पैंशन उनकी ड्यू है। इस पैंशन की लायबिलिटी एच.आर.टी.सी. के ऊपर खड़ी है। बार-बार इसकी समस्या आ रही है। इस बारे में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी चर्चा की थी। इस केस को लेकर हम केबिनैट में जा रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट में भी यह केस लगा था। हम पैंशन का क्या करें ,इसको लेकर जा रहे हैं क्योंकि यह कोई 10 करोड़ रूपए की अतिरिक्त लायबिलिटी एच.आर.टी.सी. के ऊपर है?

O7/04/2015/1135/जेके/एजी/2

एच.आर.टी.सी. आज के दिन में इसको देने में असमर्थ है। हम इनकी पेमैंट किसी तरीके से कर रहे हैं और आज सिर्फ दो महीने की पेडैंसी है। वह पेडैंसी नहीं है जितने भी हमारे पास फंडज अवेलेबल हैं और च्वाईस यह है कि डीज़ल डलवाएं या पैंशन दें। हम कोशिश यह कर रहे हैं कि इसको साथ-साथ में देते रहें। यहां पर लीव इन कैशमैंट की बात माननीय सदस्य ने की है। यह वर्ष 2012-13 में सिर्फ 3 करोड़ दी थी। वर्ष 2013-14 में 7 करोड़ रूपए दे दी। वर्ष 2014-15 में 8 करोड़ रूपए दे दी। हम इस लीव इन केशमैंट को भी साथ-साथ दे रहे हैं। मैं यहां पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे-जैसे हमारे पास फंडज़ अवेलेबल होंगे वैसे-वैसे हम इनको तुरन्त प्रायोरिटी के ऊपर इनको पेमैंट करेंगे।

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, ज़वाब तो बड़ा कोरा दिया जाता है। पूछा गया था कि एच.आर.टी.सी. में Death cum Retirement Gratuity और पैंशन क्यों नहीं मिली, कितनों को नहीं मिली; उत्तर में कहा गया कि जी, नहीं। आगे तो आपने कह दिया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमीरपुर डिपो में कम से कम 40 ऐसे कर्मचारी है जिन्हें अभी तक न पैंशन मिली है न ग्रेच्युटी मिली है। मैंने पता करके ,मैं आपको एक-दो उदाहरण देता हूं। श्री जगजीत सिंह, सहायक हमीरपुर से वर्ष 2013 में रिटायर हुआ। उसे तीन महीने पहले पैंशन लगी। हो सकता है हमारे प्रश्न के बाद आपने पैंशन का प्रबन्ध किया हो लेकिन यह Death cum Retirement Gratuity और लीव इन केशमैंट बिल्कुल भी नहीं मिली। इसके साथ ही एक प्रकाश सिंह ड्राईवर है, ये डिपो हमीरपुर से बंगाणा के रहने वाले हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

प्रश्न संख्याः 2015 क्रमागत

श्री ईश्वर दास धीमान क्रमागतः
ये डिपो हमीरपुर से बंगाणा के रहने वाले हैं। इनको भी अभी तक कुछ नहीं मिला। ओम प्रकाश ड्राईवर है इनको भी कुछ नहीं मिला। लीले राम, ये तो टायरमैन हैं ,दो-दो वर्ष हो गए इनको भी कुछ नहीं मिला। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप इनको लिस्ट दे दीजिए। अगर आप पूरी लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा।

श्री ईश्वर दास धीमानः इसके साथ दो-चार केसिज़ और हैं जैसे भगवान् दास, ये भी ड्राईवर हैं और ये पठानकोट से संबंधित हैं इनको भी कुछ नहीं मिला। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग रिटायरमैंट के लिए ड्यू होते हैं उनके पैंशन केसिज़ तीन महीने या छः महीने पहले तैयार करवा करके ए0जी0 से स्वीकृत करवाए जाएं? जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसको परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है कि कोई मकान बनाना है या बच्चे की शादी करनी है, उसकी 100ज़रूरतें होती हैं लेकिन अगर तीन-तीन वर्ष तक लोगों को उनका कमाया हुआ धन नहीं मिलता, उनका हक नहीं मिलता तो वह न्यायसंगत नहीं है। क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि जब आदमी रिटायर होता है तो उस वक्त 10 महीने के अंदर-अंदर ये सारी पेमेंट हो जानी चाहिए?
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय धीमान साहब दो-तीन लोगों के नाम बता रहे हैं ,मैं इस माननीय सदन में बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो दो-तीन महीने केस बनाने में टाइम लगता है वह तो लगता ही है मगर मंशा यही होती है कि जल्दी-से-जल्दी भुगतान हो। जो आप कह रहे हैं वही मेरी मंशा है कि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मगर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सत्य है कि एच0आर0टी0सी0 की जो हालत थी, वह सबको पता है कि क्या हालत थी। अब उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव करके आगे उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में मुझे सबका सहयोग चाहिए। बाकी आप परटीकुलर कोई नाम देंगे तो मैं उसे चैक करवाकर आपको बताऊंगा भी और पूरा प्रयास करेंगे कि जो इम्प्लॉईज़

07.04.2015/1140/SS-JT/2

रिटायर हुए हैं उनको टाइम पर भुगतान हों। जितनी जल्दी-से-जल्दी हम दे सकें उतनी जल्दी पैंशन देने की कोशिश करेंगे मगर यह सब साधनों के ऊपर निर्भर करता है।

प्रश्न समाप्त

07.04.2015/1140/SS-JT/3

प्रश्न संख्याः 2016

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसके अन्तर्गत 1,25,029 मीटर लम्बाई के क्रैश बैरियर लगाए गए और उसके ऊपर 4250 लाख रुपये व्यय हुए हैं तथा 531 ऐसे क्रैश बैरियर हैं जिनके बारे में एफ0आई0आर0 लौज की गई है। महोदय, यहां जो सूचना दी है वह केवल कुल्लू 6 सर्कल और मंडी के एक सर्कल की सूचना है अर्थात् बाकी जगहों की सूचना लम्बी होने के कारण नहीं दी गई। सम्भवतः विभाग इकट्ठी नहीं कर पाया होगा। इसलिए मेरा अनुमान है कि हर जगह इस प्रकार की चोरी हुई होगी। जो यहां एफ0आई0आर0 की डिटेल दी है उसमें कहा गया है कि 6 सर्कल में जो चोरी हुई है उसकी 2014 में लास्ट एफ0आई0आर0 दर्ज़ हुई है और एक रिसैंटली प्रश्न पूछने के बाद 15 तारीख को हुई है। जहां तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 की बात है उसमें 340 मीटर की चोरी बताई गई है और जो शिकायतें हुई हैं 2012 के बाद कोई एफ0आई0आर0 नहीं हुई है। एक तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 2012 के बाद क्या हम ये मानकर चलें कि उसके बाद नेशनल हाईवे में कोई चोरी नहीं हुई और बाकी जगह आज हम देखते हैं कि आये दिन क्रैश बैरियर टूट रहे हैं और चोरी हो रहे हैं। जो 2012 में एफ0आई0आर0 दर्ज़ हुई उसमें क्या प्रगति हुई है? उसमें सरकार और विभाग को कहां तक सफलता मिली? जो दोषी लोग पकड़े गए उनके नाम बताएं? अध्यक्ष महोदय ,दूसरा प्रश्न मैं बाद में पूछ लूंगा।
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो ये क्रैश बैरियर हैं ये अब हर ऐसी जगह पर जहां पर खतरा है, जहां पर ढांक है, ऐसी जगह पर लगाये जा रहे हैं और निरन्तर यह प्रक्रिया जारी है।

जारी श्रीमती के0एस0

07.04.2015/1145/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या- 2016 जारी---

मुख्य मंत्री जारी----
निरंतर यह प्रक्रिया जारी है और यह भी सही है कि जहां पर भारी मात्रा में ये लगाए गए हैं, वहां कई जगह पर इसकी चोरी भी हुई है और जहां चोरी होती है उसकी एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज की गई है। मेरे पास सूचना नहीं है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद क्या कार्रवाई हुई है, कितने मुज़रिम पकड़े गए हैं लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी सूचना लेकर मैं आपको पत्र लिख दूंगा।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसी से मिलता-जुलता प्रश्न मैंने 2 अप्रैल को पैरापिट को लेकर पूछा था और अभी-अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जहां ढंकार होता है, जहां प्रोटैक्शन की जरूरत है, वहां क्रैश बैरियर लगाए गए हैं। हम एन.एच.-21 पर आमतौर पर जाते रहते हैं। बहुत से लोग रोज़ गाड़ियों में जाते हैं। वहां पर देखा है कि जहां पैरापिट था, उसके ऊपर ही क्रैश बैरियर लगाया और जहां ज्यादा ढंकार है, वहां अभी तक भी पेरापिट नहीं लगे हैं। कुछ जगह ढंकार में भी निश्चित रूप से लगे हैं । मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि क्या यह सत्य है कि वे सब स्टैंडर्ड है? सिर्फ एक लोहे का सांचा लाकर उसमें बजरी भर देते हैं, नीचे कोई बेस नहीं है और जब कोई गाड़ी टकराती है तो पैरापिट आगे-आगे सूचना देते जाते हैं कि पीछे गाड़ी आ रही है। वे धक्के से भी गिर जाते हैं इसलिए इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। जहां तक क्रैश बैरियर का सम्बन्ध है, कई जगह आधे-आधे क्रैश बैरियर टूटे हैं । उसका कारण यह है कि जो आगे पट्टी लगती है उसको नट और बोल्ट से कसा गया है और जो

07.04.2015/1145/केएस/एजी/2

असामाजिक तत्व हैं उनके लिए बोल्ट निकालना और चोरी करना बड़ा सरल है और जहां पैरापिट आधा लटका है वह भी लटका हुआ ही है ताकि उसको भी कोई चोरी करके ले जाए। क्या भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगें कि एक तो यह क्रैश बैरियर वहां लगे जहां ढंकार है और दूसरा अगर इनमें वैल्डिंग कर दी जाए तो निश्चित रूप से जो

इनको चोरी करते हैं, उनको भी थोड़ा समय लगेगा उस वैल्डिंग को तोड़ने को। अभी तो बहुत आसान है, खोलकर ले जाते हैं। क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पैरापिट्स तो जगह-जगह पर लगाए जाते हैं। हमारे प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में जहां भी पहाड़ी रास्ते हैं या कोई दुर्गम स्थान है, वहां पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैरापिट लगाए जाते हैं और ये बहुत कामयाब सिद्ध हुए हैं। जहां तक महेश्वर सिंह जी ने अपने पूर्व प्रश्न का ज़िक्र किया, उसमें यह था कि parapets were constructed on NH-21 between kms 28/02 to 262/0 with clean cement concrete 1x5x10 with plump about 10 years back. और ये मज़बूत होते हैं आसानी से उनको गिराया नहीं जा सकता और कोशिश की जाएगी कि अच्छे किस्म के पैरापिट्स कंकरीट किए जाएं। पैरापिट तो कई किस्म के होते हैं। एक तो खाली कोलतार का ड्रम होता था उसमें मिट्टी भरकर, उसमें पेंट करके रोड़ पर रखा जाता था। कई जगह स्टील पाट्र्स के पैरापिट लगते हैं, कई जगह मिस्त्री के द्वारा पैरापिट लगाए जाते हैं और आजकल आधुनिक टैक्निक के क्रैश बैरियर जगह-जगह पर लगाए जा रहे हैं। ये बहुत मज़बूत होते हैं।

07.04.2015/1145/केएस/एजी/3

अध्यक्ष महोदय, जहां तक चोरी की बात है, हर जगह पर पुलिस या चौकीदार को खड़ा नहीं रखा जा सकता और चोर नट और बोल्ट निकालकर इसकी चोरी करते हैं। उसके लिए व्यवस्था की जाएगी और पुलिस को भी मैं आदेश दूंगा कि --

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

7.4.2015/1150/ag/av/1

प्रश्न संख्या : 2016------ क्रमागत

मुख्य मंत्री जारी-------

उसके लिए व्यवस्था की जायेगी। इसके बारे में पुलिस को भी आदेश दिए जायेंगे कि जहां-जहां पर इस प्रकार की एफ.आई.आर.दर्ज हुई हैं उसकी तफ्तीश मुस्तैदी के साथ

करें। पुलिस यह मालूम करें कि यह कौन सा गिरोह है जो कि इन पैरापिट्स की चोरी कर रहा है।

श्री महेश्वर सिंह : मुख्य मंत्री जी, मैं यह कह रहा था कि अगर नट-बोल्ट की जगह वैल्ड किए जाएं तो ज्यादा उचित रहेगा, आपका इस बारे में कोई उत्तर नहीं आया।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इसकी पोसिबिलिटी को भी ऐक्सप्लोर करेंगे।

समाप्त

7.4.2015/1150/ag/av/2

प्रश्न संख्या : 2017

श्री बलदेव सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, पोलिटैक्निक कॉलेज, सिरमौर 26 नवम्बर, 2010 से कार्य कर रहा है। उस समय वहां पर कार्यशाला ब्लॉक इत्यादि न होने के कारण यह कॉलेज वर्तमान में जिला ऊना के अम्बोटा में चल रहा है। प्रश्न के 'ख' भाग में कहा गया है कि अब वहां पर कार्यशाला बलॉक, प्रशासनिक ब्लॉक और शैक्षणिक ब्लॉक बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में इस पोलिटैक्निक कॉलेज में कितने ट्रेड चल रहे हैं और वहां पर कितने शिक्षार्थी शिक्षा ले रहे हैं? दूसरा, वहां पर भवन इत्यादि बन कर तैयार हैं तो मंत्री जी यह भी बताएं कि पांवटा साहब में कक्षाएं कब तक शुरु होगी?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज के लिए वर्ष 2010 में नोटिफिकेशन हुई थी। वर्ष 2013 में माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जब यह सरकार बनी तो हमने उस वक्त इस कॉलेज को अम्बोटा में स्टार्ट किया था। इसकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य लगभग 12.50 करोड़ रुपये से हो चुका है। मैं आपको इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसका अगला सैशन धौलाकुंआ में स्टार्ट करेंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी जानना चाहा था कि वर्तमान में वहां कितने ट्रेड शुरु हुए हैं और कितने शिक्षार्थी शिक्षा ले रहे हैं?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर दो कोर्सिज चल रहे हैं जिसमें सिविल इंजिनीयरिंग और मैकेनिकल इंजिनीयरिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां पर वर्तमान में 115 स्टुडैंट पढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे हमारे पास सुविधा होगी वहां कोर्सिज की संख्या भी बढ़ायेंगे। वहां आई.एम. आ रहा है , बाकी भी आ रहे हैं तो इसलिए वहां का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

समाप्त

7.4.2015/1150/ag/av/3

प्रश्न संख्या : 2018

अध्यक्ष : अगला प्रश्न डॉ. राजीव बिन्दल करेंगे।

(अनुपस्थित)

7.4.2015/1150/ag/av/4

Question No.2019

Shri Ravi Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, I would like to bring to your notice that the answer laid on the Table of the House is very random and not specific and doesn't really solve the problem of what I have asked. I would also like to say that the department, bureaucracy and the employees should give correct answer for the redressal of MLAs questions, which they have asked to solve the problems of their constituency. The answer to the second question is not very specific and correct. So, in this case, I would like to ask the Hon'ble Chief Minister specifically is the department making provision to cope up with the delay in completion of damaged schemes in various places of Lahaul-Spiti of different departments i.e. IPH, PWD, private owners relief as several years have passed for damage schemes in Kier Nala, Mayor Nala, Chokang etc. due to floods which have been created by increasing the lake formations? Is the Government taking steps to channelize increasing formation of lakes causing damages or else taking

other measures to resolve further occurrence of damages by other means or calling the expert's team?

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Member has referred to the damage done to various schemes, roads/bridges and water supply schemes due to glaciers. This is a matter of concern but this is almost annual recurrence. During the last three years following tributaries or nullah-wise damaged water supply schemes have been restored:

One is Mayor Nala - number of schemes - 16, amount spent on restoration (in lacs) is Rs. 10.66 lacs;

7.4.2015/1150/ag/av/5

Second is Chokang Nala - number of schemes - 3, money spent is Rs. 0.25 lacs;

Sissu lake/nala - number of schemes - 2, money spent is Rs. 1.50 lacs;

Beeling Nala - schemes - 2, money spent is Rs. 5 lacs.

Total number of schemes is 23 and money spent is Rs. 14.41 lacs. So, effort is being made to see that whatever damage is caused due to natural causes including glaciers those are repaired as soon as possible. If the Hon'ble Member has any other such scheme in which damage is done by the glacier and which has not been repaired, he can write to me. We will take appropriate action within the specified period of time.

Concluded

श्री बी जे द्वारा जारी

07.04.2015/1155/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः 2020.

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : आपके पास है? मैं रिप्लाई दे रहा हूं, क्या आपके पास यह जवाब है?... (व्यवधान)....

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है ,इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर लोगों ने नोइंगली व अन-नोइंगली कंस्ट्रक्शन की है तो जब लोगों ने कंस्ट्रक्शन की तो उस टाईम क्यों नही रोका? अगर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इस पोजिशन में नही है कि वह अपने खर्चे पर लाईन चैंज करे तो सरकार से ग्रांट इन ऐड ले करके या जनरल सर्विसिज़ कनैक्शन में जो एपैक्स स्कीम चलाई जा रही है उसमें लोकेशन्ज़ आइडेन्टीफाई करके इसको इनक्ल्यूड कर लिया जाए । मैं चाहूंगा कि इन दोनों के बारे में बताया जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, लाईनें बिछाने के बाद जो लोग लाईनों के नीचे अपनी मर्ज़ी से मकान बनाते हैं, उनके ऊपर से लाईनों को सरकार के खर्चे पर हटाने का कोई प्रावधान नही है। अगर कोई आदमी रिक्वैस्ट करेगा, पेमेन्ट करेगा और फिर ऐसा रास्ता बताएगा कि किसी ओर के मकान के ऊपर से लाईन न चढ़ जाए, तब जा कर किया जाएगा।

प्रश्न काल समाप्त

अगला विषय श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

07.04.2015/1200/**यूके/जेटी**/1

अध्यक्षः आप बैठ जाईए, मैं आपके सबजैक्ट पर भी आऊंगा ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक दुःखद समाचार इस सदन को दे रहा हूं कि गत रात्रि कुल्लू जिला के बन्जार उप-मंडल में हुई एक भीषण आग की घटना के बारे में मैं अवगत करवाना चाहता हूं। गत मध्य रात्रि गांव शंगाड़ पटादा, ग्राम पंचायत, शंगाड़ उप-तसील सैंज, उप-मंडल बन्जार जिला कुल्लू में स्थित शंगचुल महादेव मन्दिर में एक भीषण आग लगी जिससे कि मन्दिर के पूर्ण रूप से ध्वस्त होने का समाचार प्राप्त हुआ है। देवता का रथ सौभाग्य से बच गया है परन्तु मोहरे इत्यादि जल गए हैं। मन्दिर के आसपास स्थित रिहायशी मकान भी इस आग की दुर्घटना से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं जिस कारण से लगभग 9 परिवार बेघर हुए हैं। प्रारंभिक सूचना अनुसार इन परिवारों के नाम निम्नलिखित हैः- 1. श्री देवेन्द्र शर्मा, 2. श्री नौमी राम शर्मा ,3. श्री दीने राम ,4.श्री गिरधारी लाल शर्मा, 5. श्री उत्तम शर्मा, 6.श्री नरोत्तम राम शर्मा, 7. श्री टेक राम शर्मा, 8. मोहन लाल, और 9. जगदीश शर्मा। लगता है कि ये मंदिर के पुजारी हो सकते हैं। मंदिर के पास ही उनके मकान थे।

प्रारंभिक सूचना अनुसार आग का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है किन्तु वस्तुस्थिति बारे विस्तृत जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उप-मण्डलाधिकारी बन्जार व नायब तहसीलदार सैंज अन्य अधिकारियों एवं राहत दल के साथ मौके पर चले गए हैं तथा सभी प्रभावित व्यक्तियों को उपयुक्त राहत राशि प्रदान की जा रही है। यह स्थान काफी दुर्गम है व लगभग 10 किलोमीटर पैदल ऊपर का सफर है। तुरन्त राहत के तौर पर समस्त प्रभावित परिवारों को मु0 10 हजार रुपए प्रति परिवार राहत राशि प्रदान की जा रही है। अन्य राहत राशि व सामग्री भी प्रदान की जा रही है। प्रभावित व्यक्तियों को सरकार द्वारा हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी। रेवेन्यू मैनुअल के मुताबिक SDM बंजार को इस पूरी

07.04.2015/1200/यूके/जेटी/2

घटना की इन्क्वायरी करने को भी कहा है। इन्क्वायरी पूरे नुकसान के साथ करके वह देगा और सरकार हर संभव सहायता उ परिवारों की करेगी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो अग्निकांड हुआ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जो वहां के निवासी हैं उनके घरों को नुकसान हुआ है । उनके लिए जैसा राजस्व मंत्री ने कहा है, पूरी कार्रवाई की जा रही है । वहां का देव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही प्राचीन है । उसके पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल सरकार पूरी आर्थिक सहायता करेगी ।

अध्यक्षः अब श्री कर्ण सिंह जी ।

श्री कर्ण सिंहः अध्यक्ष महादय, कल रात 12.30 बजे, पटादा गांव में जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैनुअल के मुताबिक वहां पर धनराशि वगैरहा सब दी जायेगी । मैं प्रातः माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिला था कि वहां पर कोई स्पैशल पैकेज दिया जाए । मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, घर नष्ट हो गए हैं । लोगों का कुछ भी सामान नहीं बचा है । तो मंदिर के लिए भी और गांववासियों के लिए भी स्पेशल पैकेज दिया जाए । मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस तरह से और घटनाएं घटती रहेंगी । इसके लिए आपने अग्निशमन लारजी में दिया था, उसके लिए मैं धन्यवादी हूं । लेकिन मेरा एक सुझाव है कि there are certain villages जहां सड़कें नहीं हैं । वहां पर कम से कम गांव के नज़दीक 1000 लिटर का ऐसा टैंक बने जिससे डैमेज कम हो सकती है । यही मेरा कहना है ।

एसएलएस द्वारा जारी-----

07.04.2015/1205/sls-jt-1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का मुख्य उत्तर राजस्व मंत्री दे चुके हैं कि जो इस अग्निकांड से प्रभावित लोग हैं उनको राहत मैन्वल के अनुसार सहायता दी जाएगी; बल्कि उससे बढ़कर भी दी जाएगी। जहां तक मंदिर की बात है, वह बहुत प्राचीन मंदिर है, उसका फिर से पुनर्निमाण करना बहुत आवश्यक है। वहां की सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने के लिए और उस मंदिर को बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अलग से पूरी सहायता करेगी।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने मंदिर निर्माण की चिंता की है। जहां तक राजस्व मैन्वल की बात है ,उसमें मंदिरों को राहत देने का

कोई भी प्रावधान नहीं है। भंडारी को राहत मिलेगी, पुजारी को मिलेगी लेकिन मंदिर के लिए कुछ नहीं है। वहां सारे प्राचीन मुख-मोहरे जल गए हैं। सरकार के पास रिवाल्विंग फंड है। यह देवता मुआफ़ीदार है। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह प्राचीन मंदिर है। क्या वहां से इसके लिए एस्टिमेट तैयार करके भंडार का निर्माण किया जाएगा? साथ ही, जो फॉयर की बात कही, क्या इस प्रकार के प्राचीन मंदिरों को छोटे फॉयर एकस्टिंग्युशर भी रिवाल्विंग फंड के अंतर्गत देने का प्रावधान करेंगे ताकि इन मंदिरों की सुरक्षा हो सके?

मुख्य मंत्री : मंदिरों में फॉयर एकस्टिंग्युशर देने के बारे में यह बहुत अच्छा सुझाव है। क्योंकि यह सारे मंदिर लकड़ी के बने हुए हैं ,इसलिए अगर इनमें फॉयर एकस्टिंग्युशर लगेंगे तो निश्चित तौर पर उनसे आग से बचाव हो सकता है। इसलिए इसके बारे में विचार किया जाएगा। जहां तक मंदिर के पुनर्निमाण की बात है, मैं पहले ही स्वतः कह चुका हूं कि इस मंदिर के पुनर्निमाण के लिए सरकार खुले दिल से आर्थिक सहायता करेगी। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बाहर जाना है। बाहर इनकी रैली है इसलिए बाहर जाना है।...(व्यवधान)...

07.04.2015/1205/sls-jt-2

अध्यक्ष : मेरा आपसे निवेदन है कि when the Hon'ble Chief Minister has made a full statement and is satisfying the entire House, there is no question of any supplementary. सुरेश भारद्वाज जी, आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज : सर, इस विषय में तो मुझे इतना ही कहना है कि मंदिर के बारे में तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो मैन्वल माननीय मंत्री जी बता रहे हैं ,उसमें बहुत कम पैसा मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उस रैवन्यू मैन्वल को संशोधित करें और उसमें ज्यादा पैसा तय करें। माननीय मंत्री जी, मेरा दूसरा निवेदन हिमाचल प्रदेश की कानून-

व्यवस्था के बारे में है। कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जो आक्रमण किया गया...(व्यवधान)... आज तक भी उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया।...(व्यवधान)...

Speaker: Not allowed.

मुख्य मंत्री : वह हमने नहीं किया। पत्थर आप लोगों ने फैंके और डंडे भी आपने ही बरसाए। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने ...(व्यवधान)...एक मिनट बैठिए।...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भाजपा ने आज बाहर रैली रखी है, इसलिए ये बाहर जाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। ...(व्यवधान)...बहाना ढूंढ रहे हैं। ...(व्यवधान)... जाओ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : पहली बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिए कि मंदिर को ज्यादा-से-ज्यादा मदद दी जाएगी। बाकी बात जो आपने कही है, उसका उत्तर पहले ही मिल चुका है। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं? ...(व्यवधान)... Inquiry is on. Inquiry is being done by the Government. ...(व्यवधान)... माननीय धूमल जी, आप क्या बोलने चाहते हैं?

07.04.2015/1205/sls-jt-3

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है कि देवता के मंदिर को जो हानि हुई उसके लिए सरकार ने तुरंत रिसपौंड किया है।

जारी ...गर्ग जी

07/04/2015/1210/RGJT/1

अध्यक्ष महोदय के पश्चात

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि देवता के मंदिर को जो हानि हुई उसके लिए सरकार ने तुरन्त रैसपौंड किया है और खुले दिल से सहायता की

बात भी कही है। ईश्वर की निर्मिती इन्सान भी है। जब पार्टी पर हमला हुआ, तो हमारी पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता की आंख चली गई। काश! मुख्य मंत्री जी, उस दिन यदि आपका दिल पसीजा होता। उसका 25 दिन पी.जी.आई. में ट्रीटमेंट हुआ है, क्या आपने एक बार भी यह कहा कि उसका इलाज मुफ्त करवाएंगे? कल उसको डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन के लिए कहा है। देवी-देवताओं के लिए आप करिए, हमारी भी उनके प्रति श्रद्धा है उनके लिए किया जाना चाहिए। लेकिन आप इन्सान पर भी दया करिए। मुझे हैरानी तो इस बात की है, यह राजनीति है, लोकतंत्र है और इसमें कभी कोई सत्ता पक्ष में होता है, कभी कोई विपक्ष में होता है, लेकिन कार्यकर्ता, कार्यकर्ता ही रहता है। जिस तरह की उसको चोट लगी है, आपने ठीक कहा कि हम धरना भी दे रहे हैं और रैली भी कर रहे हैं ,इसी के खिलाफ और जो कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है ,जो अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया उसके खिलाफ हम यह सब कर रहे हैं। आप हंस रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि अच्छा जाओ, आपने बाहर जाना है, तो जाओ ,बहाना ढूंढ रहे हैं। तो बाहर जाने के लिए हमें बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है वह तो हमारा अधिकार है, हम जब मर्जी बाहर चले जाएं।

अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का और सारे मंत्रि-मण्डल का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि यह कानून-व्यवस्था की एक गंभीर समस्या है और जो कुछ हुआ है, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे थे और हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बोल रहे थे। हमने सोचा कि आप हमारी बात सुनेंगे। हमने पहले इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया, जब आप मंदिर की बात कर रहे थे ,माननीय राजस्व मंत्री ने बयान देना चाहा ,तो वह भी एक दुखद घटना है। लेकिन जो 29 जनवरी को दुखद घटना हुई, क्या वह कम दुखदायी है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो इस सरकार ने आज तक कार्रवाई नहीं की, उसके कारण और आज का भी जिस तरह का ऐटीटियुड है ,हमारे हजारों कार्यकर्ता इस ठंड के बावजूद प्रदेशभर से आए हुए हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं क्या आपने भी चलना है?

07/04/2015/1210/RG/JT/1

मुख्य मंत्री : यदि आप इनवाइट करेंगे, तो हम भी आ जाएंगे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : हां-हां, चलिए। तो यह इनकी गंभीरता का द्योतक है कि ये इस मानवीय समस्या के प्रति कितने गंभीर हैं? मैं कह रहा था कि लोग आए हुए हैं और हम इस गूंगी-बहरी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रोटैस्ट कर रहे हैं कि जो भयंकर दुर्घटना हुई है उसके कारण जो नुकसान पहुंचा है, उस व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार को उठाना चाहिए और कानून-व्यवस्था को खराब करने के लिए जो दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए। हम इस प्रोटैस्ट में सदन से वॉक ऑऊट कर रहे हैं।

(विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

अध्यक्ष : सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित था। इन्होंने आज यहां पर अपनी पार्टी के लोगों को प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है और उसको ऐड्रैस करने के लिए ये बाहर जा रहे हैं। जहां ये जिस घटना का जिक्र कर रहे थे ,तो वह भी अण्डर इनवेस्टीगेशन है और जल्दी से उसका नतीजा आगे आएगा। जहां तक उस व्यक्ति विशेष को चोट लगी है ,तो मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि हमें उससे हमदर्दी है और उसके इलाज के ऊपर जो खर्चा हुआ है ,सरकार उसको वहन करने को तैयार है हम उसका खर्चा वहन करेंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उस प्रदर्शन की जो भी विडियोग्राफी हुई है उसमें जिस व्यक्ति को चोट आई है उसको खुद पत्थर फेंकते हुए उसमें दिखाया गया है। यह भी इसका एक दूसरा पहलू है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, वह शांतिपूर्ण था उनके पास न डण्डे थे, न पत्थर थे। यहां तक की जो झण्डे थे वह भी प्लास्टिक की जो कॉन्डुइट पाईप होती है उसमें थे। तो ये पत्थर कहां से आए? पत्थर फेंके गए। यह जुलूस कभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक पहुंचा ही नहीं, बीच में रोका गया और इन लोगों ने एक सरकारी रोड को, एक पब्लिक रोड को लोहे की जंजीर लगाकर बंद किया ,किन लोगों ने जंजीर लगाई ,इसकी भी वीडियोग्राफी में शक्ल साफ जाहिर होती है। जिस व्यक्ति को आंख में

07/04/2015/1210/RG/JT/3

चोट आई है उसको भी स्वयं पत्थर फेंकते हुए दर्शाया गया है। इसके बावजूद भी हम ख़ामोश हैं----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

07/04/2015/1215/MS/JT/1

मुख्य मंत्री जारी----------

इसके बावजूद भी हम खामोश हैं। Let the law takes its own course. इन्वैस्टिगेशन हो रही है। जो भी उन पर कार्रवाई होगी, वह कानून के मुताबिक होगी।

Speaker: All these things are subject of inquiry. Let it (inquiry report) come. It should not be raised time and again.

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर मैं पी0जी0आई0 गया था। मैंने उनका कुशलक्षेम पूछने के बाद जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिदायतें दी थीं कि पी0जी0आई0 प्रशासन को कहा जाए कि उनके उपचार पर जितना पैसा खर्च होगा, उसको सरकार वहन करेगी ,वह किया। हमने पी0जी0आई0 में जो हमारे ऑफिसर श्री सुधीर जी डिप्यूट हैं, उनको बता दिया था। उनके द्वारा हमें बताया गया कि वहां पर उनको देखने के लिए केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे, इसलिए उन्होंने वहां पर उनके उपचार के पैसे चार्ज नहीं किए और इसलिए उन्होंने सरकार को बिल रेज नहीं किया।

07/04/2015/1215/MS/JT/2

<u>मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, 16 मार्च, 2015 को तारांकित प्रश्न संख्याः 1533 के बारे में मैंने यहां पर आश्वासन दिया था। सदन से माननीय ईश्वर दास धीमान जी बाहर चले गए हैं, यह उनका प्रश्न था। मैंने आश्वासन

दिया था कि हम स्कूल युनिफॉर्म की इन्क्वायरी करवाएंगे। हमने ए0सी0एस0 सिविल सप्लाइज को इसमें जांच दी थी। उन्होंने जांच पूर्ण कर दी है। जो उसकी कन्क्लूजन आई है, वह मैं यहां बताना चाहता हूं। जो कमेटी युनिफॉर्म खरीदने के लिए बनाई गई थी, वह वर्ष 2012-13 में 'अटल स्कूल युनिफॉर्म' के नाम से शुरू हुई योजना के तहत बनाई थी और the then Addl. Chief Secretary (Forest) की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी और Pr. Secretary (Finance) is the Member, Pr. Secretary (Food & Civil Supplies) is the Member, Pr. Secretary to Hon. Chief Minister is the Member, Pr. Secretary (Industry) is the Member, Pr. Secretary (Education) is the Member, Director (Higher Education) is the Member, Director (Elementary Education) is the Member and the Managing Director of the Civil Supplies Corporation is the Member. जो इन्क्वायरी का कन्क्लूजन इन्होंने किया है, वह अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा।

It is clear that the State Government has constituted the Empowered Committee for implementation and monitoring of the scheme and continuous intervention of the Committee based on the feedback of previous years has resulted in considerable improvements in process of procurement, tendering, scrutiny and transparency resulting in healthy competition, deterrent penalties and timely supplies. As a result of the total cost of procurement which was Rs. 41.011 crore in 2012-13 was

07/04/2015/1215/MS/JT/3

brought down to Rs. 35.91 crore in 2013-14 and could be even far lower during year 2014-15 after deduction of the L.D. charges and penalties.

During the year 2012-13, Speaker, Sir, only 15 samples were taken. Now, they do not listen to the actual position. Only 15 samples were taken and during 2013-14, 60 samples were collected and got tested from M/s Sriram Institute for Industrial Research and Foundation, Delhi, a reputed organization, and 25 samples failed leading to imposition of penalty of Rs.

1.52 crore on the suppliers. During 2014-15, provision regarding number of samples to be collected were modified with at least one sample of 0.05% of the supplies resulting in collection of 193 samples till date. Out of these 193 samples, 57 samples were found to be below specification and accordingly, a penalty of Rs. 3.88 crore was imposed by the Corporation on the suppliers, which is substantially higher than previous years. The Corporation has still to receive balance around 55 samples from Indenting Officers which will also be got tested and further action taken as per tender conditions.

Contd...ag/js

O7/04/2015/1220/जेके/एजी/1

Hon'ble Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister continues . . .

Thus during the year 2014-2015, not only extent of post supply sampling was increased, but also clearly spelling out the scope of penalty resulted in imposition of huge penalty of Rs. 3.888 crores on the suppliers. It is also relevant to point out here that suppliers are contesting the imposition of penalty based on the different testing methodology adopted by the test labs and the entire issue is still under examination and conciliation of the Corporation.

Regarding the issue of waiting for test results before the consumption of stock, it was submitted by the Corporation officials that the same was not possible and practicable since a total of one month will be required for collection, transmission and testing of samples. Though one of the tender conditions provide for supplier to take back the non-confirming supplies in a time bound manner and replacing the same also, it was never enforced because most of the IOs had already consumed the stock and distributed to the students to avoid delay. However, as per the tender conditions, the Corporation forfeited the entire cost of supplies made to those IOs in whose

case samples were not found to be confirming after receipt of test reports as penalty.

As per the Corporation, the entire issue relating to modifying the tender condition in regard to quality of cloth, mode of testing, imposition of penalty and releases of payment etc. is under review before the Empowered Committee headed by ACS (Education) and the amendments being proposed will further safeguard the interest of the State as well as of students. As mentioned above, on earlier occasions

O7/04/2015/1220/जेके/एजी/2

also, the interventions made by the Empowered Committee from time to time have brought about a lot of positive changes in the process of procurement of uniforms resulting in more transparency and competitive bidding.

In view of the above, it is clear that the procurement of school uniform during 2014-2015 has been carried out by the Corporation strictly as per the tender conditions laid down by the Empowered Committee headed by the ACS/Principal Secretary (Education) and there seems to be no irregularity committed by any official during inviting of bids, scrutiny of the tender documents, technical scrutiny, award of work and during completion of the supplies etc. Since process of collection/testing of balance samples is yet to be completed and result about the confirmation of 100 per cent sample from Indenting Officer is yet to be received, the actual extent of penalty imposed and liquidated damages charged will only be precisely known in due course of time.

Concluded

O7/04/2015/1220/जेके/एजी/3

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(2) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 40वां वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, निजी सचिव, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,201 4 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए(3)-1/2014 दिनांक 29.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.10.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

O7/04/2015/1220/जेके/एजी/4

विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः

अध्यक्षः अब कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन होगा। अब श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष एवं सदस्य कार्य-सलाहकार समिति, समिति के सप्तम् प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव भी करेंगे कि उसको अंगीकार किया जाए।

उपाध्यक्षः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के सप्तम् प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करता हूं तथा प्रस्ताव करता हूं कि यह माननीय

सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने सप्तम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने सप्तम् प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने सप्तम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकार।

O7/04/2015/1220/जेके/एजी/5

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (201 5का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (201 5का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (201 5का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (201 5का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की

अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।
अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (201 5का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

07.04.2015/1225/SS-JT/1

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 201 5 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

07.04.2015/1225/SS-JT/2

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015(2015का विधेयक संख्यांक 10)

अब माननीय मुख्य मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

07.04.2015/1225/SS-JT/3

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 8)

अब माननीय शहरी विकास मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शहरी विकास मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करेंगे।

शहरी विकास मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

07.04.2015/1225/SS-JT/4

<u>हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक9)</u>

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 201 5 (2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

07.04.2015/1225/SS-JT/5

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, 8 अप्रैल, 2015 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 07 अप्रैल, 2015 **सचिव ।**